Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

अति आवश्यक

सेवा में

राज्य स्तरीय संयोजक,
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
पानीपत डिविजनल ऑफिस, पानीपत मार्किटिंग काम्पलैक्स,
पी.ओ. पानीपत रिफाईनरी, पानीपत-132140

यादि क्रमाक 3एस-108-2018/24769
दिनांक चण्डीगढ 15.11.2018

विषयः- **"Scheme for Subsidized LPG Connection to Other Priority Households" के तहत SECC-2011 तथा राज्य बी.पी.एल. सूची के अलावा अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH-खाकी कार्डधारक) को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा सभी अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH) जिनके पास खाकी राशन कार्ड है और उनके पास पहले कोई एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं है, को सब्सिडी वाला गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित एवं प्रदुषण रहित खाना पकाने हेतू इंधन उपलब्ध हो सके। इस स्कीम को तुरन्त लागू किया जाना है। Application Form for "Subsidized LPG Connection to OPH Card Holders" की प्रति साथ संलग्न है।

इस स्कीम के लिये 'मिट्टी तेल मुक्त हरियाणा' स्कीम के तहत जारी किये गये फंड में से शेष बची राशी लगभग 8 करोड में से 1600/-रूपये प्रति गैस कनैक्शन के हिसाब से 'अन्य प्राथमिक परिवारों' (खाकी) को शीघ्र गैस कनैक्शन जारी करना सुनिश्चित करें और इसका अलग से उचित लेखा जोखा भी रखें। 'अन्य प्राथमिक परिवारों' (OPH) की सूची दिनांक 9.11.2018 को आपको पहले ही सी.डी. में उपलब्ध करवा दी गई है। आवेदन फार्म राज्य के सभी एल.पी.जी. डीलरों को तुरन्त उपलब्ध करवायें। सभी पात्र 'अन्य प्राथमिक परिवारों' (OPH) जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले कोई गैस कनैक्शन नहीं है, को लाभ देने हेतू दिनांक 26.1.2019 तक इस लक्ष्य को कवर करें।

इसकी दृढता से पालना की जाये।

अतिरिक्त निदेशक-1
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,चण्डीगढ

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

सेवा में

राज्य स्तरीय संयोजक,
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
पानीपत डिविजनल ऑफिस, पानीपत मार्किटिगं काम्पलैक्स,
पी.ओ. पानीपत रिफाईनरी, पानीपत–132140

यादि क्रमाक 3एस–108–2018/24770
दिनांक चण्डीगढ 15.11.2018

विषयः– **"Scheme for Subsidized LPG Connection to Other Priority Households" के तहत SECC-2011 तथा राज्य बी.पी.एल. सूची के अलावा अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH-खाकी कार्डधारक) को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. राज्य सरकार द्वारा सभी अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH) जिनके पास खाकी राशन कार्ड है और उनके पास पहले कोई एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं है, को सब्सिडी वाला गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित एवं प्रदुषण रहित खाना पकाने हेतू इंधन उपलब्ध हो सके। इस स्कीम का नाम **"Scheme for Subsidized LPG Connection to Other Priority Households"** है।

1. स्कीम

सभी अन्य प्राथमिक परिवार (OPH) जिनके पास खाकी राशन कार्ड है और उनके परिवार में पहले से किसी भी सदस्य के पास गैस कनैक्शन नहीं है। इसके लिये 1600/–रूपये (जो कि वर्तमान समय में एक सिलेण्डर और एक रगूलेटर की सुरक्षा राशी है) वित्तीय सहायता राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जायेगी और शेष लगभग 633/– रूपये उपभोक्ता स्वयं वहन करेगा जो कि वर्तमान समय में अतिरिक्त खर्चा जैसे सुरक्षा होज पाईप, ब्लू बुक, installation and administrative charges इत्यादि हैं परन्तु इसमें चूल्हा व गैस की कीमत शामिल नहीं है, जो कि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी है।

2. स्कीम की अवधि

यह स्कीम तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ होगी तथा 26 जनवरी, 2019 तक ही लागू रहेगी।

3. पात्रता

वे अन्य प्राथमिक परिवार (OPH) जिनके घर में पहले से कोई गैस कनैक्शन नहीं है और राशन कार्ड की मुखिया महिला है।

2nd Floor, 30 Bays Building, Sector:17-B, Chandigarh/दूसरी मंजिल, 30 बेज बिलडिंग, सैक्टर–17–बी, चण्डीगढ
Please visit us http://haryanafood.nic.in
E-mail/ई-मेल: foods@hry.nic.in

4. आवश्यक दस्तावेज

1. 'अन्य प्राथमिक परिवार' (OPH) के खाकी राशन कार्ड की प्रति
2. परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति
3. बैंक पास बुक की प्रति

5. आवश्यक दिशा-निर्देश

1. सभी अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH) जिनके पास खाकी राशन कार्ड है और उनके पास पहले से कोई एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं है, उनको तुरन्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायें।
2. इस नई स्कीम के लिये मीडिया व अखबार के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतू व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इस स्कीम के तहत जारी किये गये गैस कनैक्शनों का उचित लेखा-जोखा (रिकार्ड) अलग से रखा जाये तथा इस बारे में पाक्षिक (fortnight) रिपोर्ट ई-मेल foodsupply23@gmail.com & foodgenb@gmail.com के माध्यम से भिजवाई जाये। यह सूचना संबधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को भी उपलब्ध करवाई जाये।
4. इस स्कीम की वैद्यता 26.1.2019 है, इसलिये यह सुनिश्चित किया जाये कि इस स्कीम के तहत निर्धारित तिथि से पहले-पहले सभी पात्र 'अन्य प्राथमिक परिवारों' (OPH) को गैस कनैक्शन उपलब्ध हो जाये।
5. Know Your Customer (KYC) Form में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है जिसकी प्रति साथ संलग्न है।
6. यह आवेदन फार्म सभी Common Service Centres (CSCs), LPG Dealers, department's website haryanafood.gov.in पर ऑनलाईन व जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, पी.आर.केन्द्रों व उपायुक्त कार्यालयों में उपलब्ध होगा।
7. आवेदनकर्ता अपना आवेदन फार्म सभी संबधित दस्तावेजों सहित नजदीकी गैस एजेंसी के पास जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकता है।
8. सभी गैस एजेंसियां पात्र परिवारों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत एक सप्ताह के अन्दर गैस कनैक्शन जारी करना सुनिश्चित करें।

इसे अति आवश्यक समझा जाये तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक-1

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,चण्डीगढ

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

पृष्ठांकन कमांक 3एस-108-2018/ 24771 दिनांक चण्डीगढ 15.11.2018

उपरोक्त की एक प्रति सभी उपायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

अतिरिक्त निदेशक-1
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,चण्डीगढ

पृष्ठांकन कमांक 3एस-108-2018/ 24772 दिनांक चण्डीगढ 15.11.2018

उपरोक्त की एक प्रति सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को भेजते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि:-

1. मुख्यालय द्वारा ऑयल कम्पनी को उपलब्ध करवाई गई अन्य प्राथमिक परिवारों की सूची के आधार पर ऑयल कम्पनियों के जिला नोडल अधिकारियों (DNOs) के साथ शीघ्र सम्पर्क करते हुये अन्य प्राथमिक परिवारों (OPH) को LPG connection दिलवाना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले में OPH का एक भी पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित न रहे।
2. इस नई स्कीम के लिये मिडिया व अखबार के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतू व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाना सुनिश्चित किया जाये।
3. उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला नोडल अधिकारियों (DNOs) एवं LPG Dealer की एक आवश्यक बैठक का आयोजन तुरन्त किया जाये ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पारित आदेशों की पालना निर्धारित अवधि में सुनिश्चित हो सके।

अतिरिक्त निदेशक-1
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,चण्डीगढ

पृष्ठांकन कमांक 3एस-108-2018/ 24773 दिनांक चण्डीगढ 15.11.2018

उपरोक्त की एक प्रति निदेशक, सूचना, जन सम्पर्क व भाषाऐं विभाग, हरियाणा को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इस स्कीम की व्यापक स्तर पर हिन्दी के मुख्य-मुख्य समाचार पत्रों में प्रचार किया जाये।

अतिरिक्त निदेशक-1
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,चण्डीगढ